

प्रेषक:

उमेश सिन्हा,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 14 दिसम्बर, 2007

विषय:- वर्ष 2007-08 में सम्भावित शीत लहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत राहत कार्य हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सम्भावित शीत लहरी के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय व्यक्तियों के बचाव हेतु आवश्यकता के अनुरूप जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु श्री राज्यपाल प्रदेश के प्रत्येक तहसील के लिए रु.1,50,000/- की दर से तथा रु.1,00,000/- प्रति जनपद की दर से अतिरिक्त धनराशि अर्थात् कुल धनराशि रु.5,36,50,000/- (रुपये पाँच करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार मात्र) सम्बन्धित जिलाधिकारी के निर्वतन पर निम्न शर्तों के अधीन रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. कम्बल की व्यवस्था :

(अ) शीत लहरी से बचाव हेतु कम्बल लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के शासनादेश संख्या-745/18-5-2002-59(एस.पी.)/92, दिनांक:22 अप्रैल,2002 में निर्धारित शर्तों के अधीन श्री गांधी आश्रम/यूपिका/उ.प्र. निर्यात निगम लि. तथा शासनादेश संख्या-499/18-5-2004-71क/99, दिनांक:26 मार्च, 2004 के अन्तर्गत उ.प्र. लघु उद्योग निगम से क्रय किये जाएँ तथा कम्बल की लम्बाई कम से कम 235 से.मी, चौड़ाई कम से कम 140 से.मी. तथा वजन कम से कम 2.2 कि०ग्रा० होना चाहिए। इन कम्बलों में कम से कम 70 प्रतिशत ऊन होना चाहिए तथा पुराने यान का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।

(ब) प्रस्तर-2(अ) में इंगित गुणवत्ता का कम्बल संस्थाओं द्वारा रु.300/- की दर से उनको आवंटित मण्डलों के जनपदों में तहसील तक पहुंचाकर उपलब्ध कराया जायेगा। इस बार इन संस्थाओं का अलग-अलग क्षेत्र बाँट दिया जा रहा है, ताकि जनपदों को कम्बल शीघ्र उपलब्ध हो सके। आवंटित मण्डलों की सूची संलग्न है। संस्थाओं द्वारा दिनांक:25 दिसम्बर, 2007 तक कम्बल तहसील पर उपलब्ध कराया जायेगा। कम्बल पहुंचाने का मार्ग व्यय सम्बन्धित संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। निर्धारित अवधि में कम्बल आपूर्ति हेतु सम्बन्धित संस्था के विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होंगे तथा आपूर्ति का विवरण सम्बन्धित जिलाधिकारी व राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित आपूर्ति करने वाली संस्था द्वारा एक-एक मानक सैम्पुल उनके आवंटित जनपद व तहसील के लिए जिलाधिकारियों को व राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे सैम्पुल के रूप में रखा जायेगा तथा उसका वितरण नहीं किया जायेगा ताकि कम्बल की गुणवत्ता जनपद स्तर पर सुनिश्चित हो सके। जिलाधिकारी उनको आवंटित संस्था से सम्पर्क कर सैम्पुल व आपूर्ति प्राप्त करेंगे तथा सुनिश्चित

करेंगे कि सैम्पल के अनुरूप व निर्धारित गुणवत्ता के कम्बल की ही आपूर्ति हो। यदि कोई संस्था उपरोक्त निर्धारित समयावधि में कम्बल उपलब्ध नहीं करायेगी तो जिलाधिकारी शासन द्वारा अधिकृत ऊपर अंकित किसी भी संस्था से कम्बल की आपूर्ति प्राप्त कर लेंगे। आपूर्ति प्राप्त करने के एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी सम्बन्धित संस्था को भूगतान कराना सुनिश्चित करें ताकि संस्थाएं निर्धारित अवधि में आपूर्ति कर सकें।

(स) कम्बल आपूर्ति करने वाली संस्थाओं को इस आशय का टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम तथा कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित होगा कि यह कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क निराश्रितों को वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री योग्य नहीं है।

(द) निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाय। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पवयस्क बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं को तथा नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों व ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े मजदूरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध व बीमार पुरुष/महिला को प्राथमिकता दी जाय। उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को दिनांक:15.12.2007 तक चिन्हित कर लिया जाय। 25 दिसम्बर, 2007 तक प्राप्त कम्बलों को 31 दिसम्बर, 2007 तक कैम्प लगाकर वितरण कराया जाय। कम्बलों के वितरण के समय जन प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि लगभग प्रत्येक ग्रामों में निर्धनतम व्यक्तियों को कम्बल अवश्य वितरित हो जायें।

(य) निराश्रित/असहाय व्यक्तियों को शीत लहर से बचाने हेतु जिलाधिकारियों द्वारा बिना समय गंवाएँ कम्बल का क्रय एवं वितरण शीघ्रता एवं तत्परता से किया जाए ताकि जरूरत मन्द व्यक्तियों को समय से यह सुविधा शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु प्राप्त हो सके तथा यह भी सुनिश्चित किया जाय कि शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(र) कम्बल के क्रय पर आपदा राहत निधि में उपलब्ध धनराशि से व्यय किया जाय। यदि आपदा राहत निधि में धनराशि उपलब्ध न हो तो TR-27 से धनराशि आहरित कर व्यय किया जाय। व्यय हुई धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र और कम्बल वितरण अधिकारी का नाम व पदनाम सहित पूर्ण सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाय। वितरण का लाभार्थीवार व ग्रामवार सम्पूर्ण विवरण अद्योहस्ताक्षरी को सप्ताहांत में उपलब्ध कराया जाये।

2. कम्बल मद में व्यय हुई धनराशि का व्यय विवरण/भौतिक कार्य विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक:20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप के क्रमांक-14 “शरणार्थी कैम्प पर व्यय” मद के कॉलम में कम्बल पर व्यय हुई धनराशि को भी अंकित किया जाय।

3. शासन द्वारा आवंटित शीत लहर की धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक:25 मार्च, 2008 तक शासन का अवश्य समर्पित कर दिया जाय।

4. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2245 के प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत आयोजनेत्तर-05-आपदा राहत निधि-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से व्यय-42- अन्य व्यय के नाम डाला जायेगा।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त स्वीकृति धनराशि संभावित शीत लहर के प्रकोप से बचाव हेतु निःशुल्क कम्बल वितरण के दायित्वों की पूर्ति के लिए है। इस धनराशि का उपयोग विगत वर्षों के दायित्वों तथा अन्य मदों पर व्यय की अनुमन्यता नहीं है।

6. कृपया आर्वटित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुए इसका लेखा-जोखा वित्तीय नियमों के अनुसार रखा जाए तथा व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय, साथ ही आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

संलग्नक: 1. स्वीकृति धनराशि की जनपदवार सूची।
2. संस्थाओं को आर्वटित मण्डलों की सूची।

भवदीय,

(उमेश सिन्हा)

सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या-5261/1-10-2007-121341/2003, तदुद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा संस्थाओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा आडिट, उ०प्र० इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक कोषागार, उ०प्र०, लखनऊ।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-2
8. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राजस्व अनुभाग-6/11
9. प्रबन्धक, श्री गाँधी आश्रम, हजरतगंज, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, यूपिका, 86, हजरतगंज, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० निर्यात निगम, 2 महाराणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० लघु उद्योग निगम, बी-25, सिलएनसिलेरी स्टेट, नादरगंज, अमौसी, लखनऊ-226012
13. प्रत्येक जनपद की चालू वर्ष 2007-2008 की धनावंदन पत्रावली में।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)

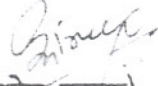
उप सचिव

कम्बल आपूर्ति हेतु संस्थाओं को आवंटित मण्डलों की सूची

संस्था का नाम

मण्डल का नाम

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. श्री गांधी आश्रम | - मिर्जापुर, चित्रकूट धाम, झांसी, |
| 2. यूपिका | - लखनऊ, आजमगढ़, देवी पाटन, मेरठ, फैजाबाद |
| 3. उ०प्र० लघु उद्योग निगम | - आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, बस्ती, वाराणसी |
| 4. उत्तर प्रदेश निर्यात निगम | - बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर |


(ओम प्रकाश)
उप सचिव

वर्ष 2007-08 में सम्भावित शीत लहरी से बचाव के लिए निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु शासनादेश संख्या-5261/1-10-2007-12(34)/2003, दिनांक 14 दिसम्बर, 2007 के क्रम में जनपदवार स्वीकृत धनराशि की सूची

क्रम	जनपद का नाम	तहसील	मद		कुल स्वीकृत धनराशि (4 + 5)
			कम्बल	अतिरिक्त आवंटन	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	आगरा	6	900000	100000	1000000
2.	अलीगढ़	5	750000	100000	850000
3.	एटा	5	750000	100000	850000
4.	फिरोजाबाद	4	600000	100000	700000
5.	हाथरस	4	600000	100000	700000
6.	मैनपुरी	3	450000	100000	550000
7.	मथुरा	4	600000	100000	700000
8.	इलाहाबाद	8	1200000	100000	1300000
9.	फतेहपुर	3	450000	100000	550000
10.	कौशाम्बी	3	450000	100000	550000
11.	प्रतापगढ़	5	750000	100000	850000
12.	आज़मगढ़	7	1050000	100000	1150000
13.	बलिया	6	900000	100000	1000000
14.	मऊ	4	600000	100000	700000
15.	बरेली	6	900000	100000	1000000
16.	बदायूँ	6	900000	100000	1000000
17.	पीलीभीत	3	450000	100000	550000
18.	शाहजहाँपुर	4	600000	100000	700000
19.	बस्ती	4	600000	100000	700000
20.	सन्तकबीरनगर	3	450000	100000	550000
21.	सिद्धार्थनगर	5	750000	100000	850000
22.	बाँदा	4	600000	100000	700000
23.	चित्रकूट	2	300000	100000	400000
24.	हमीरपुर	4	600000	100000	700000
25.	महोबा	3	450000	100000	550000
26.	बहराइच	4	600000	100000	700000
27.	बलरामपुर	3	450000	100000	550000
28.	गोण्डा	4	600000	100000	700000
29.	श्रावस्ती	2	300000	100000	400000
30.	अम्बेडकरनगर	5	750000	100000	850000
31.	बाराबंकी	6	900000	100000	1000000
32.	फैजाबाद	5	750000	100000	850000
33.	सुलतानपुर	7	1050000	100000	1150000
34.	देवरिया	5	750000	100000	850000
35.	गोरखपुर	7	1050000	100000	1150000
36.	कुशीनगर	4	600000	100000	700000

37.	महाराजगंज	4	600000	100000	700000
38.	झाँसी	5	750000	100000	850000
39.	जालौन	5	750000	100000	850000
40.	ललितपुर	3	450000	100000	550000
41.	औरैया	2	300000	100000	400000
42.	इटवा	5	750000	100000	850000
43.	फर्रुखाबाद	3	450000	100000	550000
44.	कानपुर देहात	5	750000	100000	850000
45.	कानपुर नगर	3	450000	100000	550000
46.	कन्नौज	3	450000	100000	550000
47.	हरदोई	5	750000	100000	850000
48.	लखनऊ	4	600000	100000	700000
49.	लखीमपुर खीरी	6	900000	100000	1000000
50.	रायबरेली	7	1050000	100000	1150000
51.	सीतापुर	6	900000	100000	1000000
52.	उन्नाव	5	750000	100000	850000
53.	बागपत	3	450000	100000	550000
54.	बुलन्दशहर	7	1050000	100000	1150000
55.	गौतमबुद्धनगर	3	450000	100000	550000
56.	गाजियाबाद	4	600000	100000	700000
57.	मेरठ	3	450000	100000	550000
58.	मिर्जापुर	4	600000	100000	700000
59.	संतरविदास नगर	3	450000	100000	550000
60.	सोनमढ़	3	450000	100000	550000
61.	बिजनौर	5	750000	100000	850000
62.	ज्योतिबाफुलेनगर	3	450000	100000	550000
63.	मुरादाबाद	6	900000	100000	1000000
64.	रामपुर	6	900000	100000	1000000
65.	मुजफ्फरनगर	6	900000	100000	1000000
66.	सहारनपुर	5	750000	100000	850000
67.	चन्दौली	3	450000	100000	550000
68.	गाजीपुर	5	750000	100000	850000
69.	जौनपुर	6	900000	100000	1000000
70.	वाराणसी	2	300000	100000	400000
		311	46650000	7000000	53650000
		कुल योग:- रुपये पाँच करोड़ छत्तीस लाख पचास हजार मात्र			

(उमेश सिन्हा)

सचिव एवं राहत आयुक्त